

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-लेसा/फिक्से./विविध/NPS/2017/ 3976

दिनांक : 08-11-2017

-: आदेश :-

वित्त (नियम डिवीजन) विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ-15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.11.2017 के अनुसरण में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 के अन्तर्गत वेतनमान दिनांक 01.10.2017 से लागू किये जाने के फलस्वरूप चिकित्सा विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संशोधित वेतन स्थिरीकरण प्रकरणों को अनुमोदन बाबत निम्न विवरणानुसार अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है:-

(अ) निदेशालय स्तर

क्र.सं	नाम अधिकारी/कर्मचारी	वेतन स्थिरीकरण हेतु आवंटित कार्य
1.	श्री भगवान सहाय वर्मा सहायक लेखाधिकारी	1. निदेशालय में कार्यरत "राजपत्रित अधिकारियों, के वेतन स्थिरीकरण अनुमोदन का कार्य।
2.	श्री महेन्द्र कुमार डींगवाल क0 लेखाकार	2. विभाग के समस्त राजपत्रित अधिकारियों के वेतन स्थिरीकरण सम्बन्धी अभ्यावेदनों का विचारण एवं निस्तारण।
3.	श्री रामजीलाल मीणा क0 लेखाकार	
	श्री चन्द्र महेश गुप्ता सहायक लेखाधिकारी	1. निदेशालय में कार्यरत "अराजपत्रित अधिकारियों, के वेतन स्थिरीकरण अनुमोदन का कार्य।
	श्री नीरज तिवाड़ी क0 लेखाकार	2. विभाग के समस्त अराजपत्रित अधिकारियों के वेतन स्थिरीकरण सम्बन्धी अभ्यावेदनों का विचारण एवं निस्तारण।
	श्री कपिल मीणा, क0 लेखाकार	

- निदेशालय स्तर पर राजपत्रित अधिकारियों/अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण का पर्यवेक्षण श्री कृष्ण नन्द मित्तल, लेखाधिकारी (आं.जां.) करेंगे।
- राजपत्रित/अराजपत्रित वेतन स्थिरीकरण से सम्बन्धी सेवा पुस्तिकाओं/रिकार्ड संधारण का कार्य गठित कमेटी के श्री रामजीलाल मीणा एवं श्री कपिल मीणा, क0 लेखाकार करेंगे।

(ब) जोन स्तर

लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारीगण कार्यालय संयुक्त निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, अपने कार्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा संयुक्त निदेशक (जोन) के अधीन प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक विश्लेषक प्रयोगशालाओं में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण प्रस्तावों का अनुमोदन सम्बन्धी कार्य सम्पादित करेंगे। इस बाबत लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारीगण अपने अधीन कार्यालयों में आवश्यकतानुसार सहायक लेखाधिकारी-II/ क0 लेखाकारों का सहयोग लेंगे। तथा जिन प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों में सहा. लेखाधिकारी पदस्थापित है, वे अपने कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन स्थिरीकरण प्रस्तावों का अनुमोदन सम्बन्धी कार्य सम्पादित करेंगे।

(स) जिला स्तर

समस्त लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारीगण, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिले में पदस्थापित विभाग के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय सहित जिले के सभी चिकित्सा संस्थानों (प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों को छोड़कर) में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण का कार्य सम्पादित करेंगे। लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारीगण अपने अधीन कार्यालयों से आवश्यकतानुसार सहायक लेखाधिकारी-II/क0 लेखाकारों का सहयोग लेंगे।

- जिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों में लेखाधिकारी/सहा. लेखाधिकारी पदस्थापित नहीं है, उनके वेतन स्थिरीकरण जोन कार्यालयों में पदस्थापित लेखाधिकारी/सहा. लेखाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(द) प्रतिनियुक्त कार्मिकों का वेतन स्थिरीकरण

विभिन्न अर्द्धशासकीय/स्वायत्तशासी संस्थाओं में इस विभाग के अधिकारी/कर्मचारी यदि प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है तो उनका "वेतन स्थिरीकरण" अनुमोदन का कार्य निदेशालय/जोन/जिलों में उपरोक्तानुसार अधिकृत किये गये अधिकारियों द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

सभी सम्बन्धित लेखाधिकारियों/सहायक लेखाधिकारीगण वेतन स्थिरीकरण प्रकरणों का राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अन्तर्गत परीक्षण कर अनुमोदन करेंगे तथा पाक्षिक आधार से वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय को प्रगति से अवगत करवायेंगे।

निदेशालय स्तर पर सम्बन्धित अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित/अराजपत्रित) तथा अन्य नियन्त्रण अधिकारी कार्मिकों के वेतन स्थिरीकरण प्रस्ताव तैयार कर तीन मूल प्रतियों में पर्यवेक्षण अधिकारी (लेखाधिकारी) कार्यालय वित्तीय सलाहकार (जन स्वा०) मुख्यालय को भिजवायेंगे तथा इस हेतु अपने अधीन पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार लगा सकेंगे।

CM&HOs एवं PMOs कार्यालयों के AAOs (वेतन स्थिरीकरण हेतु अधिकृत) का वेतन स्थिरीकरण सम्बन्धित जोन कार्यालय में पदस्थापित AO/ AAO से तथा जोन कार्यालयों के AOs/ AAOs (वेतन स्थिरीकरण हेतु अधिकृत) सम्बन्धित CM&HOs कार्यालयों में पदस्थापित AAOs द्वारा किया जायेगा।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-लेखा/फिक्से./विविध/NPS/2017/3876

दिनांक : 08-11-2017

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. गिजी सहायक, निदेशक (जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय, जयपुर।
2. गिजी सहायक, प्रबन्ध संचालक, आरएमएससीएल, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित) निदेशालय, मुख्यालय।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) निदेशालय, मुख्यालय।
5. गिजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, मुख्यालय।
6. गिजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, एन.एच.एम./मुख्य लेखाधिकारी, परिवार कल्याण/मुख्य लेखाधिकारी (आईईसी) निदेशालय मुख्यालय।
7. श्री कृष्णानन्द मित्तल, लेखाधिकारी (आं.जां.) मुख्यालय।
8. लेखाधिकारी (मुख्यालय) निदेशालय।
9. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
11. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
12. समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
13. समस्त वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामु० स्वा० केन्द्र।
14. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय मुख्यालय।
15. समस्त लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं।
16. समस्त सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
17. सहायक लेखाधिकारी (बजट/आ. जां./महालेखाकार/मुख्यालय) निदेशालय।
18. श्री भगवान सहाय वर्मा/श्री चन्द्र महेश गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी-I निदेशालय।
19. श्री महेन्द्र कुमार डींगवाल/श्री राजीलाल मीणा/श्री नीरज तिवाड़ी/श्री कपिल मीणा, क० लेखाकार, निदेशालय।
20. प्रभारी सर्वर रूम, कृपया इस आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करायें।
21. रक्षित/आदेश पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर